

प्रेस नोट 19.04.19

1.दिनांक 18.04.19 को वादी उ०नि० श्री यशवंत द्विवेदी थाना को०अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कल्लू उर्फ विष्णु देव निषाद पुत्र स्व० लालजी निवासी ब्लाक नं० 57 मकान नं० 898 कांशीराम कालोनी थाना को०अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 300 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 240/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 18.04.19 को वादी उ०नि० श्री अरविन्द तिवारी थाना को०अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रामू पुत्र राम भवन मांझी निवासी रामपुर हलवारा थाना को०अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 240 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 241/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3.दिनांक 18.04.19 को वादी श्री राम जनम पुत्र लिच्छू निवासी हरदी लोनियन का पुरवा थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित पुत्र जानकी प्रसाद निवासी हरदी लोनियन का पुरवा थाना गोसाईगंज, अयोध्या आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 115/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4.दिनांक 18.04.19 को वादी उ०नि० श्री कन्हैया कुमार यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम तेज रावत पुत्र भल्लू निवासी आल्हामरु थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु०अ०सं० 109/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5.दिनांक 18.04.19 को वादी उ०नि० श्री कृष्ण प्रताप यादव थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि शिव प्रसाद उर्फ गुड्डू पुत्र राम पाल निवासी अमौनी थाना मवई अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना मवई में मु०अ०सं० 110/19 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6.दिनांक 18.04.19 को वादी श्री राम अवतार पुत्र गजाधर निवासी तरमा थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 62 एजे 0999 बोलेरो का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र को टक्कर मार कर घायल कर देना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 186/19 धारा 279, 337, 338, 304ए, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।